संख्या-168/2025/I/917012/2025/23-11099(099)/326/2024

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 25-03-2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गो/सेतुओं तथा मार्गो पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गो से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण,चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/सौन्दर्यीकरण योजना के चालू कार्यो पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1),लोक निर्माण विभाग,लखनऊ के पत्र संख्या-12476/CE-HQ1/PRYTN/SAH/2024-25, दिनांक 18-02-2025, पत्र संख्या-12608/CE-HQ1/PRYTN/VNS/2024-25, दिनांक 03-03-2025, पत्र संख्या-12630/CE-HQ1/PRYTN/JHA/2024-25, दिनांक 04-03-2025, पत्र संख्या-12631/CE-HQ1/PRYTN/BAN/2024-25, दिनांक 04-03-2025, पत्र संख्या-12752/CE-HQ1/PRYTN/MBD/2024-25, दिनांक 11-03-2025, पत्र संख्या-12822/CE-HQ1/PRYTN/LKO/2024-25, दिनांक 19-03-2025, पत्र संख्या-12823/CE-HQ1/PRYTN/ADY/2024-25, दिनांक 19-03-2025 एवं पत्र संख्या-12824/CE-HQ1/PRYTN/GON/2024-25, दिनांक 19-03-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गो/सेतुओं तथा मार्गो पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गो से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण, चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण/सौन्दर्यीकरण योजना के 11 चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रू0 2331.68 लाख (रूपये तेईस करोड़ इकत्तीस लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तो सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/प्रावैधिक / बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	नि0ख0 सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में दौलतपुर नानौता मंगलौर (राज्य मार्ग सं0-167) मार्ग के कि0मी0 73 (उत्तराखण्ड सीमा) पर स्वागत द्वार का निर्माण कार्य।	154.35 154.35 0.19 154.16	146.45	7.71
2	नि0ख0 चंदौली	लेवा इलिया मार्ग पर प्रवेश द्वार का निर्माण।	168.50 168.50 5.59 162.91	29.00	35.00
3	नि0ख0-3 झांसी	मोठ भाण्डेर मार्ग पर प्रवेश द्वार का निर्माण।	114.91 114.91 0.52 114.39	111.12	3.27
4	प्रा0ख0 चित्रकूट	जनपद चित्रकूट के शहरी मार्ग पर प्रवेश द्वार का निर्माण।	133.07 133.07 0.41 132.66	120.36	5.67
5	नि0ख0-2 बिजनौर	अन्तर्राज्यीय/ अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर प्रदेश की	125.78 125.78	95.61	21.24

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		सीमा के अन्दर बहुउद्देशीय हब निर्माण बनाये जाने के अन्तर्गत मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-119 (नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग) पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर गेट पिलर्स निर्माण का कार्य।	0.60 125.18		
6	राजकीय निर्माण निगम लखनऊ	जनपद अयोध्या में अयोध्या सुल्तानपुर मैनुद्दीनपुर 40 मी0 चौड़ा मार्ग (एन0एच0-330) पर सॉलिड स्टोन के भव्य द्वार के निर्माण का कार्य।	4092.43 4092.43 Nil 4092.43	900.00	458.79
7	राजकीय निर्माण निगम लखनऊ	जनपद अयोध्या में लखनऊ-अयोध्या फिरोजपुर-उपरहार 60 मी0 चौडे मार्ग (एन0एच0-27) पर पिंक सॉलिड स्टोन के भव्य द्वार के निर्माण का कार्य।	5207.25 5207.25 Nil 5207.25	900.00	300.00
8	राजकीय निर्माण निगम लखनऊ	जनपद अयोध्या में अयोध्या अम्बेडरकर नगर राजेपुर उपरहार 40 मी0 चौड़ा मार्ग (एन0एच0-135ए) पर पिंक सॉलिड स्टोन के भव्य द्वार के निर्माण का कार्य।	3970.50 3970.50 Nil 3970.50	900.00	450.00
9	राजकीय निर्माण निगम लखनऊ	जनपद अयोध्या में अयोध्या रायबरेली सरीयावं कुरावां 40 मी0 चौड़ा मार्ग (एन0एच0-330ए) पर पिंक सॉलिड स्टोन के भव्य द्वारा के निर्माण का कार्य।	4075.06 4075.06 Nil 4075.06	900.00	300.00
10	राजकीय निर्माण निगम लखनऊ	जनपद गोण्डा में अयोध्या गोण्डा देईपुर/कटरा भागचन्द्र अहतमाली 40 मी0 चौड़ा मार्ग (एन0एच0-330ए) पर सॉलिड स्टोन के भव्य द्वार के निर्माण का कार्य।	3970.50 3970.50 Nil 3970.50	900.00	450.00
11	राजकीय निर्माण निगम लखनऊ	जनपद गोण्डा में बस्ती-अयोध्या-स्माईलगंज 60 मी0 चौड़ा मार्ग (एन0एच0-27) पर पिंक सॉलिड स्टोन के भव्य द्वार के निर्माण का कार्य।	5120.27 5120.27 Nil 5120.27	1792.09	300.00
योग:-					**2331.68**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेश की समस्त शर्तो का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 23,31,68,000 (रूपये तेईस करोड़ इकत्तीस लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371349 प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गो/सेतुओं तथा मार्गो पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गो से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण, चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/ सौन्दर्यीकरण का कार्य मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
11- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
12- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
14- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
15- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
16- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
17- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in